AGRICULTURE DEPARTMENT

The 2nd July, 1987

No. 2446-Agri.II(2)-87/12059.—Consequent upon the acceptance of the resignation dated 20th June, 1987 of Shri Lila Krishan, Chairman, Haryana Warehousing Corporation, in exercise of powers conferred under clause (b) of sub section (1) of Section 20 of the Warehousing Corporation Act, 1962 read with Rule 4(2) of the Haryana Warehousing Corporation Rules, 1969, and all other power enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is hereby pleased to nominate Shri Tirlochan Singh, Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department as Director on the Board of Directors of Haryana Warehouing Corporation.

2. In exercise of the powers conferred under sub-section 2 of section 20 of the Warehousing Corporations Act, 1962, the Governor of Haryana, is hereby further pleased to appoint Shri Tirlochan Singh, Commissioner and Secretary to Government Haryana, Agriculture Department as Chairman of the Board of Directors of Haryana Warehousing Corporation with immediate effect.

S. C. DHOSIWAL,

Chandigarh dated the 1st July, 1987. Joint Secretary, Agriculture Department, Haryana.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 26 जून, 1987

सं० ओ० वि०/सोनी/49-87/25008.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० एटलस साईकिल इण्डस्ट्रीज लि०, सोनीपत, के श्रमिक श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मांगे राम मार्फत भारतीय मजदूर संघ कार्यालय सोनीपत, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है,

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनाक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है।

क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही कार्य से गैर-हाजिर रह कर नौकरी से अपना पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/सोनी/54-87/25015.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० एटलस साईकिल इण्डस्टीज लि०, सोनीपस, के श्रमिक श्री आजाद सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह मार्फत भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले मे कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपात विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन सास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है।

क्या श्री आजाद सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही कार्य से गैर-हाजिर रह कर नौकरी से अपना पूर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?

आर. एस. अग्रवाल,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।